

# कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा०क०अधि०/ विशेष यु०पी०ग०/ 2016, लखनऊ, दिनांक: सितंबर 27, 2016

## आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन श्री आलोक कुमार त्रिवेदी, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ बरेली एवं श्री अनिल कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3 लखनऊ को समिलित कर बरेली पीठ से सम्बन्धित वादों की सुनवाई व निरस्तारण हेतु दिनांक 17.10.2016 से 20.10.2016 तक की अवधि के लिए बरेली में विशेष युगल पीठ गठित की जाती है।

सम्बन्धित को तदनुसार सूचित किया जाये।

sd. 27/09/16  
(डी०एस० त्रिपाठी)

एच.जे.एस.  
अध्यक्ष,  
वाणिज्यकर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा०क०अधि०/ विशेष यु०पी०ग०/ 2233 / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण पीठ बरेली/ पीठ-3 लखनऊ।
2. राज्य प्रतिनिधि (युगल पीठ) पीठ बरेली।
3. अध्यक्ष/ सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/ टैक्स लायर्स एसोसियेशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समर्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर अवगत करायें।
4. श्री शिव कुमार अरोरा, अध्यक्ष, उ०प्र०टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेज. रोड, जमुना विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर-251201 व श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव, उ०प्र० टैक्स बार एसोसिएशन, एस-5/45, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002 को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समर्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/ विवरण/ कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र०निबन्धक  
वाणिज्यकर अधिकरण  
उ०प्र०, लखनऊ।